

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी

—: ईच्छा की अभिव्यक्ति :-

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 18/(SPMRM-NRuM) -2017/39 दिनांक 22.02.2017 के आलोक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्न मिशन अन्तर्गत संस्थान/संगठन/निजी संस्थाओं का चयन विभिन्न परियोजनाओं (पार्क, खेल का मैदान, सामुदायिक भवन, मॉडल आंगनबाड़ी इत्यादि) का DPR तैयार कराने का निदेश है। उक्त पत्र के आलोक में ईच्छुक संस्थान/संगठन/निजी संस्थाओं दोहरे लिफाफा पद्धति के आधार पर मुहरबंध लिफाफे में प्रस्ताव दिनांक 04.04.2018 को अपराहन 3:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूँटी में स्थित रूरुर्न प्रकोष्ठ में जमा कर सकते हैं। उसी दिन अपराहन 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में निविदा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.khunti.nic.in पर देखा जा सकता है।

प्रस्ताव की शर्ते निम्न है :-

1. उन संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो निबंधित हों एवं सरकार उपक्रम/निगम/निकाय के अधीन कार्य कर रहे हो। तथा जिसका निबंधन का तीन साल पुरा हो गया हो।
2. संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिए आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय के समान क्षेत्र में काम करने का अनुभव कम से कम 05 वर्षों का हो तथा संस्थान के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।
3. संस्था के विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षवार सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोजना के आवश्यकता आधारित होना चाहिए, अनाश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. वैसी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायगा, जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो। इस संबंध में स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संस्था के साथ किसी भी विवाद का निराकरण खूँटी जिला ब्यवहार न्यायालय के क्षेत्रधिकारी के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. इस संबंध में तिथि परिवर्तन, प्रस्ताव को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
8. निविदा के साथ निविदादाता को 10000.00 (दस हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, खूँटी के पद नाम से (Payable at Khunti) समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

ह०/-

उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक 408/वि दिनांक 26/03/18

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खूँटी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, खूँटी को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
खूँटी।

— 5 म्युनि टिप कि आरक्ष

Faint, mostly illegible text in the body of the letter, appearing to be a standard administrative format with multiple lines of text.

— 103
कमिश्नर आरक्षी एमिआर
गाजी इलाहाबाद

Format for evaluation and selection of institution/organization/private entities under SPMRM-NRuM

1	Name of the institution/organization/private entities
2	Registration Number, Act and Year of Registration
3	Place of Registration
4	Has the organization ever been black listed by any government or non-government agencies

Criteria for selecting institution/organization/private entities under SPMRM-NRuM

Stage I		
S.No.	Parameter	Indicator for Assesment
1	Experience	No. of Years of experience in executing development projects in the state of Jharkhand since registration of organization
2	Project Profile	Number of projects of government agencies/bilateral projects (DFID,IFAD, UNICEF,UNESCO,World Bank,WHO, etc.) for which the organization worked for implementing development projects in the state of Jharkhand. Whether the organization is already empanelled by any government organization for development projects?
2	Financial Status	Average annual turnover for last three financial years as per audited statement.
3	Staff Profile	Total numbers of paid and full time employees working in the organization No. of Technical staff and Non technical staff.
4	Infrastructure Related	Whether the organization has its own /rented premises ?
Stage II		
1	DPR Preparation	No. of DPR which are prepared and approved by competent authority Maximum estimated cost of a DPR for projects prepared which is approved by competent authority.
2	Presentation	Technical Presentation by institution/organization/private entities.

